9-570/B

-2-

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

11-06-2013

—: आदेश :—

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–570/2012 में आवेदक **शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,** गोनपुरा, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–11.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में शाखा प्रबंधक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक हैं। इस बैंक में बड़े पैमाने पर Cash Transfer होते रहता है तथा ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है। वर्तमान में बैंक में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–773/गो0, दिनांक–18.05.2103 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त आवश्यक कार्य हेतु भेजी गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक हैं। इस बैंक में बड़े पैमाने पर Cash Transfer होता है तथा ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है। वर्तमान में बैंक में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि अपने बैंक की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शाखा प्रबंधक,

पंजाब नेशनल बैंक, गोनपुरा, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने बैंक की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, गोनपुरा, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।